विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

रेटपेयर्स की सक्रिय भागीदारी से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

भले ही आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रेंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हैं पर अर्थ व्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केन्द्रीय वित सचिव अजय सेठ द्वारा एक कायक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरुरी बताया है। दरअसल एक और राजनीतिक दलों द्वारा ऐन केन प्रकारेण सत्ता के स्वाद चखने की चाह पूरी करने के लिए लोकलुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं दर घोषणाएं की जा रही है तो दूसरी और देश को 2025 में जीडीपी रेंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती सामने हैं। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी और सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं तो तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं। देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है। अब जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पेनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरें से तो कोई बच भी नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित पगार पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो ही जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना भी लगभग ना ही है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

दरअसल जब स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर एक और यह तो सपना ही बनकर रह गया दूसरी और राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है। दरअसल रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की भूमिका को हम इसी से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि न्यूजीलैण्ड सहित अनेक देशों में तो रेटपेयर्स अपने हितों की रक्षा के लिए एसोसिएशन बनाकर आगे आ रहे हैं। हमारे देश में हालात इससे विपरीत है। हमारे यहां तो पिछले कुछ सालों में रेटपेयर्स की सहभागिता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। संभवत: यही चिंता का कारण बन रहा है केन्द्रीय वित सचिव अजय सेठ के अनुसार।

रेटपेयर्स से सीधा सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरें में आती है। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही है। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

रेटपेयर्स से सीधा सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरें में आती है। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही है। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए यह आवश्यक भी हो जाता हैं। पर इसका मायना यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता है। फिर सरकार को सक्षम और कम सक्षम में कहीं ना कहीं अंतर करके ही चलना ही होगा। केन्द्रीय वित सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सहायता दी जाए पर इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि मुख्यधारा से वंचित के नाम पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों या परिवारों को भी यह सुविधाएं दी जाएं। इससे होता यह है कि जो आम करदाता है वह तो अपने आपकों ठगा महसूस करता ही है वहीं कहीं ना कहीं समाज में गेप भी बढ़ता है। इसके अलावा आर्थिक विकास में जो जनभागीदारी होनी चाहिए वह भी बाधित होती है। ऐसे में फ्रीबीज की राजनीति के बीच रेटपेयर्स की भागदारी को भी बढ़ाना ही होगा जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टिपल विकास संभव हो सके। आज के लाभार्थियों को भी अर्थ व्यवस्था के व्यापक हित में समझना होगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल शनिवार 3 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र दिन 12:34 तक, शूल योग रात्रि 1:41 तक, तैतिल करण प्रात: 7:52 तक, चन्द्रमा प्रात: 6:37 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 12:34 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रात: 7:52 से 2:02 तक है। आज गंगा सप्तमी और पूजन, गंगोत्पत्ति और चन्दन छठ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:29 से 9:07 तक, चर 12:24 से 2:02 तक, लाभ अमृत 2:02 से 5:18 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 6:56

मेष
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हागा। मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तकनीकी युग में चुनाव आयोग में बड़े बदलावों और नवाचार की आवश्यकता है

सुनील दत्त गोयल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। लेकिन जब यह अधिकार गैर-नागरिकों यानी अवैध रूप से देश में दाखिल हुए घुसपैठियों को मिल जाए, तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। आज भारत इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है- विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह समस्या अधिक विकराल रूप ले चुकी है।

चुनाव आयोग को आधुनिकरण की ज़रूरत है। पिछले 15 वर्षों में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद ज़रूरी सुधारों और बदलावों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है। हर चुनाव-चाहे लोकसभा हो या विधानसभा या ग्राम सभा-के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट होती है। यह समझ से परे है कि अब तक एक सामान्य वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई है जो सभी स्तरों के चुनावों के लिए मान्य हो। मेरा पहला सुझाव यही है कि एक सामान्य जनरल वोटर लिस्ट बनाई जाए। दूसरा अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिज़न्स) को घर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आधार पर वोटिंग की सुविधा देने का ट्रायल शुरू किया है। यह सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर देश से बाहर रहने वाले नागरिकों, दूसरे राज्यों में रह रहे कामकाजी लोगों या छात्र-छात्राओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती? उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक या पोस्टल माध्यम से वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए।

मैंने स्वयं लगभग एक साल पहले अपना वोटर आईडी ऑनलाइन अपडेट किया था, लेकिन आज तक वह मुझे नहीं मिला। इससे यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? इसे समय से आगे की सोच अपनानी होगी और तकनीकी रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा।

चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की सीमाएँ : एक और बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती तो कर देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि ज़िला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) और एसपी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यह सही है कि आचार संहिता के समय वे आयोग के अंतर्गत होते हैं, लेकिन उसके बाद पुन: राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव प्रक्रिया में और गहराई तक की जाए, खासकर पोलिंग बूथ के अंदर।

अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जहां पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार के कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करते दिखते हैं। वोट किसे देना है, यह पूछते हैं और कई बार खुद वोट डाल देते हैं। यह अपने आप में एक नया 'बूथ कैप्चरिंग' का तरीका है। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल पोलिंग बूथ के अंदर तैनात हों और प्रत्येक वोटिंग प्रक्रिया पर निगरानी रखें। यहाँ हमारा यह सुझाव है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कहाँ और किस स्थान पर और कितनी होगी, यह भी चुनाव आयोग स्वयं अपने स्तर पर फैसला करें। तभी हम एक पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं।

आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो : आज हमारे पास ई-आधार, मोबाइल, फेस आईडी और तमाम डिजिटल साधन मौजूद हैं। ऐसे में डाक द्वारा वोट भेजने की पुरानी प्रणाली को खत्म कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को विकसित करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं, वे भी आसानी से वोट डाल सकें। जैसे चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारी तथा सीमा पर लगे हुए सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों में वे सभी अधिकारी जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर होते हैं, वे पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं। वैसे ही आम नागरिकों को भी दो दिन पहले वोट डालने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलनी चाहिए। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है।

स्थानीय कारकों को समझे चुनाव आयोग : चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह जानकारी अवश्य प्राप्त करे कि उनके जिलों में मतदान के दिन या उससे एक-दो दिन पहले अथवा बाद में कोई बड़ा त्योहार, विवाह समारोह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजन तो नहीं है। यदि ऐसा कोई अवसर हो, तो ऐसी तारीखों से परहेज़ करते हुए वैकल्पिक मतदान तिथि का निर्धारण किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को समय से आगे सोचते हुए कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वह देश में हो या विदेश में, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: सिर्फ नागरिकों को ही मिले वोट देने का अधिकार

हाल ही में नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव सुधारों की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने देशभर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे वैश्विक लोकतंत्रों की चुनावी प्रणाली और राज्य-स्तरीय चुनाव नियमों का गहन अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन सदन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-ऑफिस और डिजिटल फाइल मैनेजमेंट को भी लागू किया गया है - जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सराहनीय प्रयास हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या ये प्रयास मतदाता पहचान की शुद्धता को भी सुनिश्चित कर पाएंगे? आज भारत के कई हिस्सों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध घुसपैठियों को वोटर आईडी जारी किए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग न केवल मतदाता बन जाते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक में भी तब्दील हो जाते हैं।

दूसरा सवाल यह है कि इन दोनों चर्चाओं में आया है कि एक ही मतदाता के अलग-अलग जिलों में या शहरों में या राज्यों में कई वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इन डुप्लीकेट सिस्टम को जितनी शीघ्रता से चुनाव आयोग हटाएगा, उतना ही देश की सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए फायदेमंद होगा।

पश्चिम बंगाल: जन सांख्यिकीय बदलाव का जीवंत उदाहरण : पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दशकों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा से सटी ज़मीन पर हजारों लोग बगैर वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं और स्थानीय राजनैतिक समर्थन और ढीली प्रशासनिक जांच के कारण आसानी से भारतीय मतदाता बन जाते हैं। यह जनसांख्यिकीय बदलाव न केवल स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गहराई से नुकसान पहुँचाता है। कई पूर्व अधिकारियों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में कुछ जगहों पर स्थानीय जनसंख्या में गैर-नागरिकों का अनुपात 25-30 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

वोटर आईडी के लिए नागरिकता सत्यापन क्यों है ज़रूरी?

आज की प्रणाली में नाम, पता और उम्र के आधार पर वोटर आईडी मिल जाता है। कोई ठोस नागरिकता प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या नागरिकता पंजीकरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। नतीजतन, फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध घुसपैठिये भी मतदाता बन जाते हैं।

इस घातक खामी को दूर करने के लिए निम्न उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:

1. सभी नए और पुराने वोटर आईडी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ा जाए : जिस तरह असम में प्रक्रिया अपनाई गई, उसे तकनीकी रूप से दुरुस्त कर अब पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

2. आधार, पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र से वोटर आईडी की क्रॉस वेरिफिकेशन: आधार की बायोमेट्रिक जानकारी और पासपोर्ट की राष्ट्रीयता आधारित पुष्टि का उपयोग कर मतदाता पंजीकरण को अधिक सख्त बनाया जाए।

3. डिजिटल जियो-टैग्ड वेरिफिकेशन टीमों का गठन: हर मतदाता के पते का ऑन-ग्राउंड डिजिटल सत्यापन किया जाए, जिससे फर्जी पते पर वोटर आईडी लेना मुश्किल हो।

4. फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान:

फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए सरकारी लाभ लेने या वोटर आईडी बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो और तुरंत आईडी निरस्त किया जाए। एक राष्ट्र, एक चुनाव तभी संभव जब एक समान नागरिक पहचान सुनिश्चित हो

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की यह पहल कि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए - ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक - एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि इस सूची में केवल भारतीय नागरिक शामिल हों, तब तक यह प्रयास अधूरा और भ्रामक होगा। राज्यों के बीच नियमों की असमानता, स्थानीय दबाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमजोरियाँ मिलकर इस समस्या को और जटिल बना देते हैं।

निष्कर्ष: राष्ट्र की सुरक्षा और लोकतंत्र की शुचिता के लिए, चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारत के सामने यह अब एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। जब घुसपैठिये मतदाता बनकर सत्ता के समीकरण तय करने लगें, तो यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मज़ाक बन जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के डिजिटल ट्रांजिशन प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि इन प्रयासों को मूलभूत पहचान सत्यापन के साथ जोड़ा जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाता पहचान और नागरिकता जाँच को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखे - क्योंकि बिना सच्चे नागरिकों के, लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। वे लोग जो अनपढ़ हैं या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे अक्सर चुनावी दलों और राजनेताओं के प्रभाव में आकर मतदान कर देते हैं। इस प्रकार, समाज के वही लोग-जो कि कम जानकारी रखते हैं-देश और प्रदेश की सत्ता का निर्धारण कर देते हैं, जबकि पढ़ा-लिखा वर्ग केवल तमाशबीन बना रहता है। यह विडंबना है कि जो लोग देश और समाज को सही दिशा दे सकते हैं, वही अक्सर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। वे या तो आलस्यवश या छुट्टी का लाभ उठाने के लालच में मतदान से दूर रहते हैं। और जब गलत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तब वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। लेकिन वास्तव में, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं।

इसलिए मेरा देश के प्रत्येक नागरिक से विनम्र निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यह अधिकार केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके और आपके देश के साथ ही आपके बच्चों के भविष्य की नींव है। मतदान करते समय किसी के प्रभाव में न आएं, न ही किसी लालच में-बल्कि अपने विवेक और आत्मचिंतन के आधार पर सही उम्मीदवार को चुनें। एक जागरूक मतदाता ही एक उज्ज्वल भारत का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद,

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान

अजमेर डिस्कॉम ने समग्र राजस्व आवश्यकता टैरिफ एवं निवेश योजना पर प्रैज़ेंटेशन दिया

अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रैज़ेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 64 के अंतर्गत समग्र राजस्व आवश्यकता टैरिफ निर्धारण एवं निवेश योजना की स्वीकृति याचिका प्रस्तुत की गई है। शुक्रवार को टैरिफ निर्धारण को लेकर पंचशील स्थित अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को जानकारी दी गई।

अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पी वर्मा ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए याचिका के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ऊर्जा शुल्क (एनर्जी चार्जेज) में कमी का प्रस्ताव किया गया है, जबकि सीमित रूप में फिक्स्ड चार्जेज में वृद्धि की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परिवर्तन से लगभग 99 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें एनर्जी चार्ज में छूट का लाभ मिलेगा।

घरेलू टेरिफ संख्या 9 व अघरेलू टेरिफ 16 से घटाकर 11 किया :- वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए घरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 16 से घटाकर 9 तथा अघरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 15 से घटाकर 11 कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की गणना एवं समझना सरल हो सकेगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत उसे आमजन तक पहुचाया जाना होता है। आमजन द्वारा दिए गए सुझावों पर डिस्कॉम गंभीरता से विचार करेगा। प्रेजेंटेशन कार्यशाला में निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी, मुख्य अभियंता एमएल मीणा, मुख्य अभियंता राजीव वर्मा, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, कंज्यूमर राइट्स संगठनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं सहित अन्य संबंधित हितधारक एवं अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी हितधारकों ने डिस्कॉम की पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हित में उठाए गए कदमों की सराहना की।

- **उद्योग, कंज्यूमर राइट संगठन के प्रतिनिधि ने भाग लिया आमजन 13 मई तक आपत्तियां व सुझाव दर्ज करा सकेंगे**

13 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां व सुझाव :-निगम द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रतियां आम नागरिकों के अवलोकन हेतु अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय तथा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आमजन अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव निर्धारित प्रारूप में 13 मई तक प्रेषित कर सकते हैं।

विकसित और विश्व गुरु भारत बनाने में नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण : राज्यपाल बागड़े

- **गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ**

बांसवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों का आव्हान किया कि वे शब्द, रुचि, उदाहरण और आचरण को अपना शस्त्र बनाते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। इन सूत्रों से ही हम विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकते हैं। बागड़े गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा बहते पानी की तरह यह जितना बहेगा उतना ही शुद्ध होगा। यदि इसे बांधकर रख दिया गया तो खुद का ज्ञान भी अनुपयोगी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानरूपी दरिया का पुरा उपयोग करते हुए बांटते रहें। इससे विद्यार्थी का दिमाग भरेगा और वो ज्ञान वाला बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें चुन-चुनकर बच्चों का मार्गदर्शन करना होगा ताकि वहीं विद्यार्थी नाम राशन कर सके। उन्होंने कहा कि आचरण बिना सब कुछ निरर्थक है। उन्होंने बताया कि रावण ने भी विशाल प्रयोगशाला स्थापित की लेकिन एक महर्षि ने कहा कि यह सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि आचरण नहीं होगा तो इनका दुरूपयोग ही होगा। बागड़े ने कहा कि हमें मन बनाना होगा और मन को बनाने की विधाओं में नये उदाहरण, नई तकनीकि और जज्बा महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने पूरे मन, दृश्टि और व्यवहार से विद्यार्थियों को ज्ञान दें क्योंकि एक विद्यार्थी शिक्षक के आचरण को देखकर ही उसी आचरण को अपनाता है। उन्होंने कहा कि चेतना, गुणवत्ता और जवाबदेही के भाव हममें जगाने होंगे। राज्यपाल ने प्रेरित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद दो शिक्षा नीति अस्तित्व में आई लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में सनातन मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ युगीन आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है। हमारे राज्य की सशक्त परम्परा रही है जहां ईला न देणी आपणी हालरियो हुलराय द्वारा जहां माँ अपनी कोख से ही देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का पाठ सीखाती है वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत तत्त्व जवाबदेही सभी का उद्देश्य होना चाहिए तभी नया भारत, सशक्त भारत और समर्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे।

मुख्य वक्ता और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल सक्सेना ने कहा कि किसी भी देश की नींव उसकी शिक्षा पद्धति होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीयता से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि आत्म परमात्म अनुभूति, एकत्व अनुभूति केवल सिद्धांत नहीं अपितु व्यवहार का विषय और परम ध्येय होना चाहिए। अतिथि देवो भव के कारण हमने सदियों से अनेक जातियों और कबीलों को शरण दी भले ही हमने अनेक दुष्परिणाम झेले लेकिन हमारी अतिथि परम्परा आज भी मूल्य रूप में जीवित है।

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि सर्वे, अध्ययन और शोध में अंतर है। राजकीय क्रिया पद्धति का सर्वे, अध्ययन हम करते नहीं और शोध जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज उच्च शिक्षा के मानक बदलने की आवश्यकता है हमें हमारी योग्यता, क्षमता और बोध पर संकोच और अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। कबीले आते गए और हिन्दोस्तान बनता गया। हमारी संस्कृति और थाती की महत्ता और शक्तिमत्ता ही है कि हम अपने सामर्थ्य से देश और समाज को आगे बढाते जा रहे हैं। आज शिक्षा नीति अंतर्गत आवश्यकता है कि विज्ञान, टेक्नोलोजी और डिजिटल क्षेत्र में भी अपने मूल विषयों और मूल्यों को छोड़े बिना भी विकास को प्राप्त हो सकते है। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय की संकल्पना और प्रगति रिपोर्ट कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने प्रस्तुत की। सत्र में विषय प्रतिपादन न्यास के जयपुर प्रान्त अध्यक्ष प्रो राजीव सक्सेना ने किया।

राज्यपाल ने इस अवसर कैम्पस की गुलाब वाटिका और जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया और पूर्व में अपने द्वारा रोपे गए पौधे की जानकरी ली। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम किया गया और कार्यक्रमों में औपचारिक रूप से अमूमन किए जा रहे प्लास्टिक प्रयोग को पूरी तरह वर्जित किया गया। अतिथि सत्कार में भी अतिथियों को तुलसी एवं अन्य उपयोगी पौधे प्रदान किये गये। आयोजन सचिव डॉ. राजीव